जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–रिजर्व पुलिस लाइन दिनॉक 05.04.2024

रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद बिजनौर में आयोजित अन्तर्जनपदीय पुलिस वॉलीबाल, बास्केटबाल, हैण्डबाल, टेबिल टेनिस, सेपक टकरा एवं योगा प्रतियोगिता बरेली जोन, बरेली वर्ष – 2024, का प्रथम दिन।

रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर में दिनांक 05.04.2024 से 07.04.2024 तक आयोजित होने वाली **अन्तर्जनपदीय पुलिस वॉलीबाल, बास्केटबाल, हैण्डबाल, टेबल टेनिस, सेपक टकरा एवं योगा प्रतियोगिता बरेली जोन, बरेली वर्ष–2024** का उद्घाटन श्री मुनिराज जी, पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद के द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स बिजनौर के परेड ग्राउण्ड पर श्री नीरज कुमार जादौन, आयोजन सचिव/पुलिस अधीक्षक बिजनौर की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया।

पुरूष बास्केटबाल का मैच जनपद बिजनौर व जनपद रामपुर के मध्य खेला गया जिसमें बिजनौर की टीम ने विजय प्राप्त की। इस अवसर पर श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, श्री राम अर्ज, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, श्री संग्राम सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन्स, श्री भरत कुमार सोनकर, क्षेत्राधिकारी चॉदपुर, श्री देवेन्द्र सिंह सिकरवार, प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन्स बिजनौर एवं अन्तर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी श्री राहुल चौधरी के पिताजी श्री रामपाल सिंह उपस्थित रहें। क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी श्री जयवीर सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ निर्णायक मण्डल के रूप में उपस्थित रहकर प्रतियोगिता को सकुशल सम्पन्न कराया जा रहा है।

निर्णायक मण्डल

वॉलीबाल:–

1– श्री अजीत कुमार	एन0आई0एस0
2– श्री दीपक चौधरी	राज्य स्तर खिलाडी
3– श्री चन्द्रशेखर	राज्य स्तर खिलाडी
4– श्री ओमवीर राणा	राज्य स्तर खिलाडी

बास्केट बॉल:–

1– श्री अशोक त्यागी	राज्य स्तर खिलाडी
2– श्री आदेश दाहिमा	राज्य स्तर खिलाडी
3– श्री राशिद	राज्य स्तर खिलाडी
4– कुमारी भावना	राज्य स्तर खिलाडी

हैण्डबॉल:–

1– श्रीमति चित्रा चौहान	एन0 आई0 एस0
2– श्री अनमोल सक्सेना	पूर्व हॉकी खिलाड़ी
3– श्री युनूस	राज्य स्तर खिलाडी
4– कु0 सलोनी रानी	राज्य स्तर खिलाडी

योगा:–

1– श्री विकास कुमार	पी0जी0डी0 योग

2– श्री विकुल कुमार राज्य स्तर खिलाडी

सेपक टकराः–

1– श्री अरविन्द राज्य स्तर खिलाडी

2– श्री धीरज कुमार राज्य स्तर खिलाडी

टेबल टेनिसः–

1– श्री आदित्य सक्सेना राज्य स्तर खिलाडी

2– श्री विरेश यादव पी0टी0आई0 एम0डी0

दिनांक 05.04.2024 को करायी गयी प्रतियोगिता का विवरण निम्नवत् हैः–

पुरूष बास्केटवॉलः–

बास्केटबाल का प्रथम मैच जनपद बिजनौर व रामपुर के बीच खेला गया, जिसमें बिजनौर ने 21–02 से विजय प्राप्त की, दूसरा मैच मुरादाबाद व बरेली के बीच मुरादाबाद ने 06–04 से विजय प्राप्त की, फाइनल मैच जनपद बिजनौर व मुरादाबाद के मध्य खेला गया जिसमें बिजनौर ने 06–04 से विजय प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रही व मुरादाबाद ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

पुरुष हैण्डबॉलः–

हैण्डबाल का प्रथम मैच जनपद बिजनौर व बरेली के बीच खेला गया, जिसमें बिजनौर ने 09–01 से विजय प्राप्त की, दूसरा मैच मुरादाबाद व रामपुर के बीच खेला गया, जिसमें मुरादाबाद ने 05–02 से विजय प्राप्त की, फाइनल मैच जनपद बिजनौर व मुरादाबाद के बीच खेला गया, जिसमें बिजनौर ने 08–00 से विजय प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रही व मुरादाबाद ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

महिला बास्केटबॉलः–

बास्केटबाल का प्रथम मैच जनपद बिजनौर व रामपुर के बीच खेला गया, जिसमें बिजनौर की टीम ने विजय प्राप्त की, दूसरा मैच जनपद बरेली व मुरादाबाद के बीच खेला गया, जिसमें बरेली की टीम ने विजय प्राप्त की, फाइनल मैच जनपद बिजनौर व बरेली के बीच खेला गया, जिसमें बिजनौर ने 06–01 से विजय प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रही व बरेली ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

पुरुष वॉलीबालः–

वॉलीबाल का प्रथम मैच जनपद बिजनौर व रामपुर के बीच खेला गया, जिसमें बिजनौर की टीम ने विजय प्राप्त की, दूसरा मैच जनपद बरेली व मुरादाबाद के बीच खेला गया, जिसमें मुरादाबाद की टीम ने विजय प्राप्त की, फाइनल मैच जनपद बिजनौर व मुरादाबाद के बीच खेला जाना है।

महिला वॉलीबालः–

वॉलीबाल का प्रथम मैच जनपद बिजनौर व रामपुर के बीच खेला गया, जिसमें बिजनौर की टीम ने विजय प्राप्त की, दूसरा मैच जनपद बरेली व मुरादाबाद के बीच खेला गया, जिसमें बरेली की टीम ने विजय प्राप्त की, फाइनल मैच जनपद बिजनौर व बरेली के बीच खेला जाना है।

महिला सेपक टकराः–

सेपक टकरा का प्रथम मैच जनपद बरेली व मुरादाबाद के बीच खेला गया, जिसमें बरेली की टीम ने विजय प्राप्त की, दूसरा मैच जनपद बिजनौर व रामपुर के बीच खेला गया, जिसमें बिजनौर की टीम ने विजय प्राप्त की, तीसरा मैच जनपद बिजनौर व बरेली के बीच खेला गया जिसमें बरेली की टीम ने विजय प्राप्त की।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ़ **दिनांक- 05.04.2024**

थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा झूठी लूट की घटना का किया पर्दाफाश।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 05.04.2024 को समय प्रातः 03.40 बजे कॉलर रियाजुद्दीन पुत्र अब्दुल रसीद निवासी ग्राम सिरवासुचन्द/कासमपुर गढी थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर ने यूपी0-112 पर सूचना दी कि उसके घर में अज्ञात चोरों द्वारा डकैती की है तथा सारा पैसा लूट कर ले गये है।

सूचना पर तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, क्षेत्राधिकारी अफजलगढ व स्थानीय पुलिस बल, डॉग स्क्वायड व फिल्ड यूनिट के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा जांच की गई। जांच के क्रम में कॉलर रियाजुद्दीन उपरोक्त व उसके परिवार जनो से अलग - अलग पूछताछ की गई तो घटना संदिग्ध प्रतीत हुई तथा कॉलर रियाजुद्दीन उपरोक्त से पुनः गहनता से पूछताछ की गई तो कॉलर रियाजुद्दीन ने बताया कि उसने कई माह पूर्व अपने साले रहीसुद्दीन उर्फ नियाजुद्दीन निवासी सुरजनगर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद से 35,000/- रुपये अपने बेटे आलम को विदेश भेजने के नाम पर उधार ले रखे थे, जिस कारण मेरा साला मुझे बार - बार पैसे के लिये फोन पर तकादा कर रहा था, जिससे परेशान होकर मैने आवेश में आकर अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मिलकर घर का सामान रात्रि मे इधर उधर बिखेर दिया और उसके बाद घटना की झूठी सूचना पुलिस को दे दी। कॉलर रियाजुद्दीन उपरोक्त की घटना की झूठी सूचना देने के संबंध में भी वीडियोग्राफी करायी गई तथा कॉलर रियाजुद्दीन उपरोक्त के विरुद्ध झूठी सूचना देने के सम्बन्ध वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

\-

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर   दिनांक – 05.04.2024

थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत रेल की पटरी पर महिला की वायरल वीडियो से संबंधित प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही वैधानिक कार्यवाही के संबंध में।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 05.04.2024 को थाना चांदपुर क्षेत्रान्तर्गत एक युवती द्वारा अपने साथी मित्र मोहित त्यागी की वजह से नाराज होकर रेलवे पटरी पर जाने के संबंध में वीडियो बनाकर वायरल की गई।

वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर तत्काल युवती से वार्ता की गई। युवती ने बताया कि उसका मोहित त्यागी नाम के लडके से प्रेम प्रसंग था, जो चांदपुर क्षेत्र का ही रहने वाला है। मोहित त्यागी उपरोक्त नोएडा में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था तथा शादी करने का वादा किया गया था, लेकिन अब शादी करने से मना कर रहा है।

महिला अपने जीजा के साथ उसके घर काशीपुर चली गयी है और जीजा व बहन के साथ सकुशल मौजूद है। युवती की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 155/24 धारा 376/313/506 भादवि बनाम मोहित त्यागी पुत्र स्व0 संजय कुमार निवासी मौ0 काजीजादगान कस्बा चांदपुर जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मण्डावर **दिनांक 05.04.2024**

थाना मण्डावर क्षेत्र में हुई मारपीट की वायरल वीडियो में स्थानीय पुलिस द्वारा की गई वैधानिक कार्यवाही के संबंध में।

संक्षिप्त विवरणः-

अवगत कराना है कि सोशल मीडिया (व्हाट्सएप) पर थाना मण्डावर क्षेत्र की एक मारपीट संबंधी वीडियो वायरल हुई । स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, उक्त वीडियो थाना मण्डावर क्षेत्र के कस्बा चन्दक में एक हलवाई की दुकान के पास का होना पाया गया। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आये कि क्षितिज कुमार पुत्र ज्ञान सिंह निवासी चन्दक थाना मण्डावर जनपद बिजनौर व प्रभात पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम केवलपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर द्वारा हलवाई की दुकान पर समोसा व कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने को लेकर दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी।

इस संबंध में थाना मण्डावर पुलिस द्वारा मारपीट करने वाले दोनो अभियुक्तगण क्षितिज कुमार पुत्र ज्ञान सिंह निवासी चन्दक थाना मण्डावर जनपद बिजनौर व प्रभात पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम केवलपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्य़वाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

1.क्षितिज कुमार पुत्र ज्ञान सिंह निवासी चन्दक थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2.प्रभात पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम केवलपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री कुंवर पाल सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2.आरक्षी अंकित कुमार थाना मण्डार जनपद बिजनौर।
3.आरक्षी सुनिल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना मंड़ावर **दिनांक 05.04.2024**

थाना मंड़ावर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.04.2024 को थाना मंड़ावर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त जाहिद उर्फ छोटे पुत्र अब्दुल हफीज उर्फ मुन्ने निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना मंड़ावर पर मु0अ0स0 127/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम जाहिद उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त जाहिद उपरोक्त थाना मंड़ावर का हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीटर नं0 104/अ) अभियुक्त है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

जाहिद उर्फ छोटे पुत्र अब्दुल हफीज उर्फ मुन्ने निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास जाहिद उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 271/23 धारा 392/411/120 बी भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 71/13 धारा 308/325/323/304 भादवि थाना मंडावर जनपद जनपद बिजनौर

3.मु0अ0सं0 153/19 धारा 147/148/149/452/323/324/504/506 भादवि थाना मंडावर जनपद बिजनौर

4.मु0अ0सं0 135/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंडावर जनपद बिजनौर

5.मु0अ0सं0 277/11 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

6.मु0अ0सं0 236/2011 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

7.मु0अ0सं0 416/2011 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

8.मु0अ0सं0 951/2010 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

9.मु0अ0सं0 362/2022 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

10.मु0अ0स0 127/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र गिरि थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर

2.हे0का0 617 कुशलपाल थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर

3.हे0का0 534 अमेन्द्र थाना मंड़ावर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना हल्दौर **दिनांक - 05.04.2024**

थाना हल्दौर व मंड़ावर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त को 900 ग्राम डोडा चूर्ण व 03 किग्रा0 डोडा पोस्त सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थो के विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थो की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर व मंडावर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना हल्दौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 021/2024 धारा 8/9/15(C) एनडीपीएस एक्ट में वांछित अभियुक्त गुरमित सिंह उर्फ थानेदार पुत्र भगत सिंह निवासी ग्राम बाखरपुर थाना सुहाना जनपद मोहाली (पंजाब) हाल निवासी डेराबसी पंजाबी ढाबा मालिक नुरपुर रोड थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 900 ग्राम डोडा चूर्ण व 03 किग्रा0 डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.गुरमित सिंह उर्फ थानेदार पुत्र भगत सिंह निवासी ग्राम बाखरपुर थाना सुहाना जनपद मोहाली (पंजाब) हाल निवासी डेराबसी पंजाबी ढाबा मालिक नुरपुर रोड थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

900 ग्राम डोडा चूर्ण व 03 किग्रा0 डोडा पोस्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थानाध्यक्ष श्री रवि तोमर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री सुभाष कुमार राणा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
4. हे0का0 652 चैन सिंह थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
5. का0 1846 रिंकू रावल थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
6. का0 1776 प्रवीण शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
7. का0 2459 राजीव कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नहटौर **दिनांक 05.04.2024**

थाना नहटौर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.04.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त उमेर पुत्र साहिद नि0 मौ0 घास मण्डी कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नहटौर पर मु0अ0स0- 148/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम उमेर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

उमेर पुत्र साहिद नि0 मौ0 घास मण्डी कस्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. मुख्य आरक्षी 496 नरेश पूनिया थाना नहटौर जनपद बिजनौर
2. आरक्षी 1813 आदित्य मलिक थाना नहटौर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना नजीबाबाद दिनॉक 05.04.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 168/24 धारा 379 भादवि में वांछित दो अभियुक्तों को चोरी गये वाहन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 01.04.2024 को वादी श्री कपिल कुमार पुत्र रमेश चन्द्र नि0 मौ0 मकबरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी की महेन्द्रा पिकअप गाडी (यूपी 20 टी 6324) को चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 168/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.राशिद उर्फ नौशाद पुत्र कयामुद्दीन नि0 ग्राम लिंडरपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.सरफराज पुत्र मौजूद्दीन नि0 ग्राम मुरदगांव उर्फ रोशनगढ थाना बालेनी जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.04.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 168/24 धारा 379 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.राशिद उर्फ नौशाद पुत्र कयामुद्दीन नि0 ग्राम लिंडरपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 2.सरफराज पुत्र मौजूद्दीन नि0 ग्राम मुरदगांव उर्फ रोशनगढ थाना बालेनी जनपद बागपत को चोरी गयी महेन्द्रा पिकअप गाडी सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411/413 भादवि की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1.राशिद उर्फ नौशाद पुत्र कयामुद्दीन नि0 ग्राम लिंडरपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2.सरफराज पुत्र मौजूद्दीन नि0 ग्राम मुरदगांव उर्फ रोशनगढ थाना बालेनी जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण–

1– महेन्द्रा पिकअप गाडी रजि नं0– यूपी 20 टी 6324

आपराधिक इतिहास–

अपराधिक इतिहास अभियुक्त सरफराज उपरोक्त–

1.मु0अ0स0–229/2021 धारा 201/379/413 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद मेरठ
2.मु0अ0स0–269/2021 धारा 201/379/411/413 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद मेरठ
3.मु0अ0स0–354/2019 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना बृहमपुरी जनपद मेरठ
4.मु0अ0स0–159/2016 धारा 414 भादवि थाना लालकुर्ती जनपद मेरठ
5.मु0अ0स0–532/2017 धारा 379/411 भादवि थाना सदर बाजार जनपद मेरठ
6.मु0अ0स0–20/2022 धारा 379/411 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद मेरठ
7.मु0अ0स0–318/2021 धारा 201/379/413 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद मेरठ
8.मु0अ0स0–310/2021 धारा 379/411 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद मेरठ
9.मु0अ0स0–690/2022 धारा 379/411 भादवि थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
10.मु0अ0स0–693/2022 धारा 307/34 भादवि थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
11.मु0अ0स0–329/2021 धारा 201/379/413 भादवि थाना सिविल लाईन जनपद मेरठ

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नौशाद उपरोक्त–

1.मु0अ0स0–690/2022 धारा 379/411 भादवि थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
2.मु0अ0स0–693/2022 धारा 307/34 भादवि थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
3.मु0अ0स0–695/2022 धारा 4/25 भादवि थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
4.मु0अ0स0–825/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
5.मु0अ0स0–174/2020 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
6.मु0अ0स0–594/2011 धारा 379/411 भादवि थाना को0शहर जनपद बिजनौर
7.मु0अ0स0–342/2011 धारा 406 भादवि थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री सौरभ सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2–उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
3–हे0का0 453 नेत्रपाल राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
4–का0 1223 रजत कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
5–का0 2086 सीताराम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
6–का0 2594 अमन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ़ **दिनांक- 05.04.2024**

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त शाकिर पुत्र अमीर हसन नि0 मौ0 चिरंजीलाल कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 115/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम शाकिर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

शाकिर पुत्र अमीर हसन नि0 मौ0 चिरंजीलाल कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरणः-

01 अवैध चाकू।

आपराधिक इतिहास शाकिर उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 76/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 70/2022 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

3. मु0अ0सं0 115/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट था अफजलगढ़ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 सुमित राठी अफजलगढ जनपद बिजनौर

2. का0 293 राहुल कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

3. का0 1821 जाबिर खान थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक 05.04.2024**

थाना नूरपुर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 05.04.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त इन्तखाब पुत्र बदलू निवासी ग्राम कुआंखेडा थाना बछरायूं जनपद अमरोहा को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0स0-114/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम इन्तखाब उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

इन्तखाब पुत्र बदलू निवासी ग्राम कुआंखेडा थाना बछरायूं जनपद अमरोहा

बरामदगी विवरणः-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इन्तखाब उपरोक्तः–

1. मु0अ0सं0- 81/20 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना गजरौला जनपद अमरोहा
2. मु0अ0सं0- 88/20 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा
3. मु0अ0सं0- 135/20 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा
4. मु0अ0सं0- 287/20 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 थाना गजरौला धनौरा जनपद अमरोहा
5. मु0अ0स0- 94/20 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना धनौरा जनपद अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 सुभाष चन्द्र थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. हे0का0 249 कुंवरपाल सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. हे0का0 593 बृजकिशोर शर्मा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना शेरकोट दिनांक 05.04.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने अभियुक्त को 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों की बिक्री/परिवहन आदि करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सत्येन्द्र उर्फ मोटा पुत्र शीशराम निवासी मौहल्ला नौधना कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 74/2024 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम सत्येन्द्र उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सत्येन्द्र उर्फ मोटा पुत्र शीशराम निवासी मौहल्ला नौधना कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

बरामदगीः-

1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा

आपराधिक इतिहास सत्येन्द्र उपरोक्तः-

1. मु0अ0स0 49/2015 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. मु0अ0स0 241/2015 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 74/2024 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1.उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

2. का0 1297 अनुज ढाका थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3. का0 1945 विक्रम सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 05.04.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 10 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	मण्डावर	गौरव पुत्र महेन्द्र सिंह नि0 ग्राम गुनियापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2	मण्डावर	कुलदीप पुत्र विरेन्द्र सिंह नि0 ग्राम शहबाजपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
3	धामपुर	फहीमुद्दीन पुत्र नजरुद्दीन नि0 रामपार्क नंनदा बस्ती थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
4	धामपुर	डा0 सविता पत्नि डा0 हाकीम सिहं नि0 CHC धामपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर
5	नजीबाबाद	अमित पुत्र तेजपाल सिंह नि0 ग्राम कनकपुर कलां थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
6	स्योहारा	सादाब पुत्र सदरुद्दीन नि0 मौ0 शेखान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
7	स्योहारा	अलाऊद्दीन पुत्र मुस्तफा नि0 ग्राम मेवाजट थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
8	स्योहारा	सुभाष पुत्र सौनाथ नि0 ग्राम वजीरपुर की मडैया थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
9	स्योहारा	रोहताश पुत्र सुक्खे नि0 ग्राम मुकरपुरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
10	स्योहारा	नरेन्द्र पुत्र सुक्खे नि0 ग्राम मुकरपुरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

थाना मंडावर

थाना धामपुर

थाना धामपुर

थाना नजीबाबाद

थाना स्योहारा

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा **दिनांक – 05.04.2024**

थाना हीमपुर दीपा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 39/24 धारा 302 भादवि में वांछित 03 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.04.2024 को वादी श्री चंदूलाल पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम कुतुबपुर गढी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर सूचना दी कि वादी के छोटे भाई सोनू कुमार के साथ अज्ञात व्यक्तियों ने जान से मारने की नियत से किसी भारी वस्तु से वार किया, जिससे वह घायल हो गया था। घायल सोनू उपरोक्त को जिला अस्पताल बिजनौर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान सोनू उपरोक्त की मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 39/24 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से वार्ता की गयी तथा क्षेत्राधिकारी चांदपुर व थाना प्रभारी हीमपुर दीपा को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

कार्यवाही का विवरण –

थाना हीमपुर दीपा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 39/24 धारा 302 भादवि में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण 1- सुनील उर्फ चील पुत्र बुध सिंह निवासी चंदनपुर थाना कोतवाली शहर 2- राजन पुत्र सुभाष चंद्र निवासी दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर बिजनौर 3- पीतम उर्फ काले पुत्र भिसना निवासी गावड़ी थाना कोतवाली शहर बिजनौर 4- मोनू उर्फ रावण पुत्र तुलसी निवासी चंदनपुर थाना कोतवाली शहर बिजनौर 5- देव पुत्र सुनील निवासी चंदनपुर थाना कोतवाली शहर बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हीमपुर दीपा पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा मु0अ0सं0 39/24 धारा 302 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1- सुनील उर्फ चील पुत्र बुध सिंह निवासी चंदनपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2- राजन पुत्र सुभाष चंद्र निवासी दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर बिजनौर जनपद बिजनौर 3- पीतम उर्फ काले पुत्र भिसना निवासी गावड़ी थाना कोतवाली शहर बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगणो ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 04.04.2024 की रात्रि में हम दो मोटरसाइकिलो पर सवार होकर ग्राम फतेहपुर कलां स्थित शराब के ठेके पर पहुंचे, जहां हमारी शराब के रेट को लेकर सेल्समेन वीरेन्द्र व चौकीदार सोनू के साथ कहासुनी व मारपीट हो गयी थी, जिससे सोनू घायल हो गया था और हम वहां से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1- सुनील उर्फ चील पुत्र बुध सिंह निवासी चंदनपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2- राजन पुत्र सुभाष चंद्र निवासी दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3- पीतम उर्फ काले पुत्र भिसना निवासी गावड़ी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1- श्रीमती अन्नु कुमारी, थाना प्रभारी हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

2- श्री जयवीर सिंह, प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर।

3- श्री शौकत अली, प्रभारी स्वाट टीम जनपद बिजनौर।

4- मुख्य आरक्षी अमित वर्मा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

5- आरक्षी सुमित बालियान थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा **दिनांक – 05.04.2024**

थाना हीमपुर दीपा क्षेत्रान्तर्गत कल रात्रि में हुई घटना के संबध में।

अवगत कराना है कि दिनांक 04.04.2024 को वादी श्री चंदूलाल पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम कुतुबपुर गढी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर सूचना दी कि वादी के छोटे भाई सोनू कुमार के साथ अज्ञात व्यक्तियों ने जान से मारने की नियत से किसी भारी वस्तु से वार किया, जिससे वह घायल हो गया था। घायल सोनू उपरोक्त को जिला अस्पताल बिजनौर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान सोनू उपरोक्त की मृत्यु हो गयी । तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 39/24 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से वार्ता की गयी तथा क्षेत्राधिकारी चांदपुर व थाना प्रभारी हीमपुर दीपा को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा   दिनांक – 05.04.2024

थाना हीमपुर दीपा क्षेत्रान्तर्गत कल रात्रि में हुई घटना के संबध में।

अवगत कराना है कि दिनांक 04.04.2024 को वादी श्री चंदूलाल पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम कुतुबपुर गढी थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर सूचना दी कि वादी के छोटे भाई सोनू कुमार के साथ अज्ञात व्यक्तियों ने जान से मारने की नियत से किसी भारी वस्तु से वार किया, जिससे वह घायल हो गया था। घायल सोनू उपरोक्त को जिला अस्पताल बिजनौर में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान सोनू उपरोक्त की मृत्यु हो गयी । तहरीर के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 39/24 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से वार्ता की गयी तथा क्षेत्राधिकारी चांदपुर व थाना प्रभारी हीमपुर दीपा को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।